"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2002—कार्तिक 10, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2554/2138/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री बी. के. एस. रे. प्रमुख सचिव, राजस्व को दिनांक 8-10-2002 से 14-10-2002 (सात दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15-10-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री बी. के. एस. रे, के अवकाश काल में अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. श्री रे, को अवकाश से लौटने पर प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, राजस्व के अवकाश काल में श्री एम. के. राऊत, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2998/2184/2002/2/एक /लीव.—श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2553/2138/साप्रवि/2002/1/2/लीव, दिनांक 4-10-2002 द्वारा दिनांक 8-10-2002 से 14-10-2002 (सात दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. तद्नुसार संशोधन करते हुए श्री बी. के. एस. रे, को दिनांक 8-10-2002 से 11-10-2002 (चार दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 15-10-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 4-10-2002 के कालम 2 से 5 तक में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसागढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-4/2001/1-3.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 824/साप्रवि/आ.प्र./एक दिनांक 14-2-2001 अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिये छानबीन समिति का गठन किया गया है के सरल क्रमांक 2 में संशोधन करते हुये अपर संचालक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के स्थान पर आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित विकास विभाग को छानबीन समिति का सदस्य/सचिव नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 3-1/दो/गृह/2002.—राज्य शासन द्वारा शासनादेश क्रमांक 3-145/गृह/02 दिनांक 28-6-2002 से जिला कांकेर के चौकी कोड़ेकुर्सी को थाने में उन्नयन कर पृथक् से बल स्वीकृत किया गया है. अतः पूर्व में चौकी कोड़ेकुर्सी में स्वीकृत बल 1 प्रधान आरक्षक, 4 आरक्षक को ओड़गी जिला सरगुजा में स्थानांतरित कर नया थाना ओड़गी की स्वीकृति प्रदान किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-76/2002.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र ''सिविल विधि तथा प्रक्रिया'' (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	सश्रेय	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	कुमारी शहला निगार	सहायक कलेक्टर
	निम्न-स्तर	
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री तुलाराम पाल	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री कृपाराम सिन्हा	राजस्व निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-59/गृह/2002.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियम विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्च स्तर	
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्रीमती रूपाली बोस (श्रीवास्तव)	उप पंजीयक (परि.)

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 9-73/2002.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जुलाई 2002 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया-प्रश्न-पत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल
	बिलासपुर संभाग	
1.	श्री शैलेश कुमार बघेल	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री जे. आर. धुर्वे	वन क्षेत्रपाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-73/11/02/उ.शि./38.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा नियम, 2002 के उपनियम-3 में "ग" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द स्थापित करता है.

(घ) कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी-सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

विषय : भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (9 सन् 1910) की धारा 28 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति.

क्रमांक 3860/अधि.सू./ऊ.वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (9 सन् 1910) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा, जिला कवर्धा (जो इसमें इसके पश्चात् स्वीकृत धारा के नाम से निर्दिष्ट है) को, निक्षिप्त मानचित्र पर उस स्थान को छोड़कर जहां पर की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल स्वीकृति के दिनांक को अपने उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय कर रहा है या प्रदाय करने के लिये अनुबंधित है या अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग कर रहा है लाल रंग की रेखा द्वारा अवृत्त क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने के कारोबार में (स्वयं को) लगाने की स्वीकृति, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए तथा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा उसके ऐसे उपांतरणों और ऐसी अन्य शर्तों एवं निर्बन्धनों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, प्रदान करती है.

अनुसूची

1. इस स्वीकृति में के विभिन्न शब्दों, पदों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में उनके लिये दिए गए हैं. परन्तु इस स्वीकृति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निक्षिप्त मानचित्र" से अभिप्रेत उस रेंखांक से है जो राज्य सरकार के पास निक्षिप्त किया गया है तथा पहचान के प्रयोजन के लिये जिस पर स्वीकृति धारक और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और जिसको दूसरी प्रति स्वीकृति धारक को दे दी गई है.

स्वीकृति की अवधि

2. यह स्वीकृति शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी. स्वीकृति धारक के आवेदन-पत्र पर स्वीकृति का नवीनीकरण ऐसी कालावधियों के लिये तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् उचित समझे, उपरोक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व किया जा सकेगा और स्वीकृति धारक अगली स्वीकृति के लिये समय रहते आवेदन करेगा.

3. इस स्वीकृति द्वारा प्राधिकृत प्रदाय, प्रदाय क्षेत्र में स्वीकृति धारक के रहने वाले कर्मचारियों को प्रकाश, पंखों तथा अन्य घरेलू विद्युत साचित्रों के लिये ऊर्जा का प्रदाय करने के प्रयोजन के लिये होगा.

   परन्तु इस स्वीकृति की शर्त (5) के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृति धारक अपने कर्मचारियों से भिन्न उन व्यक्तियों को भी प्रदाय कर सकेगा जो उसके प्रदाय के क्षेत्र में हो.

4. इस स्वीकृति के अनुसरण में उपभोक्ताओं को प्रदाय करने की पद्धति निम्नानुसार होगी :—

   (एक) थ्री फेज फोर वायर तरीके से फेजेज के बीच 400 वोल्ट से अनधिक दबाव पर तथा फेजेज और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट से अनधिक दबाव पर अल्टरनेटिंग करंट प्रदाय, जबकि न्यूट्रल कंडक्टर संबंधित 11 के. व्ही./400 वोल्टस ट्रांसफार्मर सबस्टेशनों पर भूमि से सयोजित हो.

   परन्तु फिर भी स्वीकृति धारक प्रदाय के क्षेत्र में अपनी हाईटेंशन डिस्ट्रिब्यूशन लाइनें फेजेज के बीच 11,000 वोल्ट से अनधिक दबाव पर 11,000 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट 3 फेज 50 साइकल्स प्रति सेकेण्ड के तरीके को अपना कर बिछा सकेगा.

   परन्तु सदैव यह कि स्वीकृति धारक राज्य सरकार को लिखित पूर्व मंजूरी से तथा ऐसी मर्यादाओं तथा शर्तों के, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा लिखित में विहित की जाय, अध्यधीन रहते हुए इस प्रदाय के प्रयोजन के लिए समय-समय पर वितरण का कोई अन्य तरीका पूर्णत: या अंशत: अपना सकेगा.

   (दो) फीडर्स, वितरक मुख्य तार (डिस्ट्रीब्यूटिंग मेंस) तथा सर्विस लाइनें पूर्णत: या अंशत: आकाशी या भूमिगत हो सकेंगी और उनका परि-निर्माण, सनिर्माण तथा अनुरक्षण स्वीकृति धारक द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सर्वथा अनुरूप किया जाएगा.

5. प्रदाय क्षेत्र के भीतर ऊर्जा का वितरण, प्रथमत: स्वीकृति धारक के कर्मचारियों के लिए होगा. स्वीकृति धार के कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को प्रदाय की जाने वाली ऊर्जा केवल ऐसे व्यक्तियों को प्रदाय की जाएगी जो स्वीकृति धारक के स्वामित्व के आवासी, वाणिज्यिक तथा सेवा भवनों में ऊर्जा का उपयोग करते हों और जिन्हें स्वीकृति धारक के कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवाओं जैसे वाणिज्यिक दुकानों, रेस्टारेंट तथा जनहित की सेवायें इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता हो और उनके बिल उस क्षेत्र में मण्डल के सामान्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाय करने के लिए मण्डल के विद्यमान लो-टेंशन रेट पर बनाए जायेंगे.

   परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दिए गए कनेक्शन का संविदा भार 10 अश्वशक्ति से अधिक हो तो स्वीकृति धारक मण्डल की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त किए बिना उसे ऊर्जा प्रदाय नहीं करेगा.

6. इस स्वीकृति के अधीन विद्युत प्रदाय कारोबार से संबंधित लेखा स्वीकृति धारक के किसी अन्य कारोबार के लेखे से पृथक् तथा सुभिन्न रखा जायेगा. कारोबार के लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी विशिष्टियों सहित, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मण्डल को दिया जाएगा तथा ये लेखे राज्य सरकार, मण्डल या राज्य सरकार द्वार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा जांच तथा संपरीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे.

7. स्वीकृति धारक इस स्वीकृति के अधीन उसके अधिकारों में से किसी भी अधिकार या उपरोक्तानुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिए उसके द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य का या उसके किसी भाग का समनुदेशन राज्य सरकार की लिखित पूर्व सम्मति के बिना विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्यथा नहीं करेगा.

8. राज्य सरकार इस स्वीकृति में किसी भी समय ऐसे परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

9. राज्य सरकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् इस स्वीकृति की कालावधि में वृद्धि कर सकेगी या स्वीकृति को नवीनीकृत करने की मंजूरी ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, दे सकेगी.

10. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के निम्नलिखित उपबंधों के बारे में यह समझा जायगा कि वे इस स्वीकृति पर लागू होते है, अर्थात् :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 6 से 8, 10, 11, 13 से 27, 42, 44, 47 तथा 54.

(ख) उक्त अधिनियम की अनुसूची के खण्ड तीन छः, आठ, बारह से सत्रह तक.

परन्तु स्वीकृति धारक केवल उन व्यक्तियों को, जिनको कि विद्युत प्रदय करने का दायित्व वह इस स्वीकृति की शर्त पांच के अनुसार लेता है, छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को विद्युत प्रदाय करने के किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा.

11. राज्य सरकार द्वारा इस स्वीकृति का प्रति संहरण :—

(क) इस स्वीकृति के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन किए जाने पर या

(ख) स्वीकृति धारक की सम्मति से ऐसे दिनांक से, जो परस्पर तय हो, किया जा सकेगा.

Raipur, the 5th October, 2002

Sub :Issue of licence under Section 28 of Indian Electricity Act, 1910 (No. IX of 1910) to Bhoram Deo Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit for supply of electricity in the notified area of the factory :—

No. 3860/ED/Notification/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 28 of the Indian Electricity Act, 1910 (No. IX of 1910), the State Government, after consulting the Chhattisgarh State Electricity Board, hereby grants sanction to the Bhoram Deo Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Kawrdha District Kawardha (hereinafter referred to as the sanction holder) to engage in the business of supplying electrical energy in the area bounded by red coloured line on the deposited map except at the point where the Chhattisgarh State Electricity Board is supplying or has agreed to supply power to its consumers or is using it for its own purposes on the date of the sanction, subject to the provisions of the said Act and the rules for the time being in force thereunder and subject to the conditions specified in the schedule hereto and such modifications thereof and such other conditions and restrictions as may, from time to time, be specified by the State Government.

SCHEDUEL

1. The several words, terms and expressions shall have in this sanction the respective meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

Provided that the expression "deposited map" used in this sanction shall mean the plan which has been deposited with the State Government and signed for the purpose of identification on behalf of the sanction holder and the Joint Secretary to the State Government in the Energy Department and a duplicate copy of which has been made over to the sanction holder.

TENURE OF SANCTION

2. This sanction shall remain in force for a period of five years with effect from the date of notification in the Official Gazette. On application by the sanction holder, the sanction may be renewed for such period and under such terms and conditions as the State Government may think fit after consulting the Board before the expiry of the above period and the sanction-holder shall apply for further sanction well in advance.

3. The supply authorized by this sanction shall be for the purpose of supply of energy to employees of the sanction holder residing in the area of supply, for light, fans and other domestic electric appliances :

Provided that the sanction holder may extend supply to persons other than his employees in his area of supply, subject the condition (5) of this sanction.

4. The systems of supply to consumer in pursuance of this sanction shall be;

(1) Alternating current supply on a three phase four wire system at a pressure not exceeding 400 Volts between the phases and 230 volts between the phases and neutral, the neutral conductor being connected to earth at the concerned 11 KV/400 Volts transformer Sub-stations :

Provided, however, that the sanction holder may lay his high tension distribution lines in the Area of supply at a pressure not exceeding 11,000 Volts between phases by adopting a system of 11,000 Volts, alternating current 3 phase, 50 cycles per second.

Provided also that the sanction holder may, from time to time, with previous sanction in writting of and subject to such limitations and conditions, as shall be prescribed in writting by the State Government adopt in whole or in part any other system of distribution for the purpose of this supply.

(2) The feeders, distributing mains and service lines may be aerial or underground in whole or in part, and shall be erectted, constructed and maintained by the sanction holder in strict confromity with the said Act and rules made there under;

5. The distribution of energy within the area of supply shall be primarily for the employees of the sanction holder. Any energy supplied by the sanction holder to persons other than sancion holder's employees shall be only to such persons who uti lize energy in residential, commercial and service building owned by the sanction holder and who require energy for providing essential services such as commercial shops, restaurants and public utilities for sanction holder's employees and shall be billed for the prevailing low tension rates of the Board for supply of energy to the Board's gen eral consumers in the area;

Provided that if the connected load of any such persons is more than 10 H. P. the sanction holder shall not supply it without obtaining prior consent of the Board.

6. The account in connection with the electric supply business under this sanction shall be kept separate and distinct from any other business belonging to the sanction holder. The annual statement of accounts of the business shall be rendered to the Board in such form and contain such particulars as may be prescribed by the State Government and shall be open to examination and audit by the State Government/Board or auditors appointed by the State Government for the purpose.

7. The sanction holder shall not assign any of his rights under this sanction or the work executed by him for the supply of energy as aforesaid or any part thereof by sale, mortgage lease, exchange or other wise, without the previous consent in writting of the State Government.

8. The State Government may, at any time, make such alterations or amendments in this sanctions as it may think fit.

9. The State Government may, after consulting the Board, extend the period of this sanction or grant renewed sanction on such terms and conditions as it think fit.

10. The following provisions of the Indian Electricity Act, 1910 shall be deemed to apply to this sanction, namely :—

(a) Section 6 to 8, 10, 11, 13 to 27, 42, 44 47 and 54.

(b) Clauses III, VI, VIII, XII to XVII of the shedule to the said act;

Provided that the sanction holder shall not be under any obligation to supply power to any person except those to whom he has undertaken to supply in accordance with condition 5 of this sanction.

11. This sanction may be revoked by the State Governemnt :—

(a) If any of the provisions of this sanction re contravened;

or

(b) With the consent of the sanction holder with effect from a date mutually agreed upon.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच (2×210 मेगावाट)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

संदर्भ :—मु. अ. (पीआरजी-2)/को.पू./यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 29 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना की अधिसूचना.

क्रमांक 3999/ऊवि/अ.अ.यं./2002.—यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (इसे आगे सी.एस.ई.बी. कहा जायेगा) जिसका मुख्यालय डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़) में है, ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच, 2×210 मे. वा. (420 मेगावाट) के तहत एक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना, निर्माण तथा प्रचालन संबंधी योजना तैयार की है.

और अतएव कथित अधिनियम की धारा 29 (2) के अधीन 2×210 मेगावाट की योजना को अंतिम रूप देने के पहले सी.एस.ई.बी. द्वारा ऐसी योजना से संबंधित राज्य के राजपत्र में एवं ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिसे सी.एस.ई.बी. आवश्यक समझे, में प्रकाशित कराने की अपेक्षा होती है, अनुज्ञप्तिधारी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर अभ्यावेदन कर सकते है.

अब, अत: सी.एस.ई.बी. एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) की शर्तों के अधीन उपरोक्त योजना का विवरण निम्नानुसार प्रकाशित करता है :—

1. **शीर्षक :**
योजना को कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच स्थापित क्षमता 2×210 मेगावाट (420 मेगावाट) कहा जायेगा.

2. **अवस्थिति :**
प्रस्तावित कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच के लिये संयंत्र सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में सी.एस.ई.बी. की उपलब्ध भूमि जो कि पुराना पावर हाउस क्रमांक-1 के बंद होने से खाली हुई है, पर होना है. लेकिन कोल स्टाक, इनटेक/मेकअप वाटर पंप हाउस तथा राखड़ बांध के लिए लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका अधिग्रहण नियमानुसार किया जावेगा.

3. **योजना की मुख्य विशेषताएं :**
प्रस्तावित कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना चरण-पांच में संबंधित समस्त सुविधाओं, सहायक उपकरणों, स्विचयार्ड आदि सहित 2×210 मेगावाट की इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है.

(अ) **कोयले की आपूर्ति :** विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का प्रदाय साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, कोरबा से प्रस्तावित है. कोयले की ढुलाई सी.एस.ई.बी. द्वारा रेल लाइन अथवा आवश्यकता होने पर सड़क परिवहन एवं अन्य परिवहन साधनों से की जाएगी.

(ब) **जल आपूर्ति :** परियोजना हेतु जल आपूर्ति जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य शासन कोरबा स्थित हसदेव बराज जलाशय से किया जाना प्रस्तावित है.

(स) **विद्युत का पारेषण :** परियोजना से उत्पादित विद्युत का पारेषण सी.एस.ई.बी. की वर्तमान 132/220 के. व्ही. तथा 400 के. व्ही. की लाइन/वर्तमान प्रणाली द्वारा किया जावेगा.

(द) **योजना की अनुमानित लागत :** प्रस्तावित योजना की वर्तमान में अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये आंकलित है.

4. **लाभ :**
उक्त परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता, जिसमें विद्युत की मांग व उपलब्धता के संतुलन को बनाते हुए राज्य में निरंतरता के साथ गुणवत्ता की विद्युत ऊर्जा प्रत्येक उपभोक्ता को प्रदाय हेतु अनिवार्य है. इस परियोजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राप्त करना प्रस्तावित है बशर्ते कि अनिवार्य

स्वीकृतियां प्राप्त हो जाये तथा वित्तीय व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्थानों/बैंकों से अनुबंध करार हो जावे.

5. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम के अधीन सी.एस.ई.बी. की शक्तियां.

यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसरण में सी. एस. ई. बी. उक्त अधिनियम के अधीन उपरोक्त योजना के प्रयोजन के लिये सी. एस. ई. बी. में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अनुसार सी.एस.ई.बी. को स्वीकृत योजना का प्रारंभ और निष्पादन करते समय विद्युत के पारेषण और वितरण के लिये तारों को बिछाने, खंभे, दीवाल, ब्रेकेट, पकड़ उपकरण और अन्य उपकरण लगाने की सभी शक्तियां होंगी और परियोजना के निर्माण कार्य के उचित समन्वय के लिये आवश्यक तार अथवा टेलीफोन संचार के पारेषण की भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम संख्या 13) के भाग 3 के अधीन वे सभी शक्तियां होंगी जिन्हें तार प्राधिकरण एवं शासन द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित, अनुरक्षित या इसी प्रकार स्थापित होने वाले हों. बशर्ते कि जहां स्वीकृत योजना यथा उपरोक्त ऐसी व्यवस्था नहीं करती वहां भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 19 तक के सभी उपबंध लागू होंगे.

6. एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अंतर्गत इसमें अभिरूचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य किसी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति पत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के आदेशानुसार

ए. एम. के. भरोस
सचिव.

CHHATTISGARH STATE ELECTICITY BOARD

KORBA EAST THERMAL POWER PROJECT
STAG -FIVE (2 x 210 MW)

Raipur, the 10th October 2002

Ref :— CE (PRG-II)/KORBA EAST/Notification of the Scheme under Section 29(2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 amended.

No. 3999/ED/A.A.Y./2002.—WHEREAS in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, Chhattisgarh State Government, constituted Chhattisgarh State Electricity Board, (hereinafter referred to as "CSEB") having its H. Q. Dagania, Raipur (Chhattisgarh State) has prepared the Scheme relating to establishement, construction and operation of Coal based Generating Power Station of 2x210 MW (420 MW) korba East Thermal Power Project Stage Five.

AND WHEREAS, under Section 29 (2) of the said Act, the C.S.E.B., before finalisation is required to cause such Schemes to be published in the Official Gazette of the State concerned and in such local newspapers as the C.S.E.B. may consider necessary, the licensees and other persons interested may make representations within two months from the date of publication of this Notification.

NOW THEREFORE, CSEB hereby publishes the Scheme in terms of Section 29 (2) of the aforesaid Act, as follows :—

1. Title :
The Scheme shall be called 2x210 MW (420 MW) Korba East Thermal Power Project, Stage Five.

2. Location :
The proposed plant facilities for Korba East Thermal Power Project Stage Five would be located on the existing land of retired 100 MW TPS site of Chhattisgarh State Electricity Board. Approximately 300 Hectors of land is however proposed to be acquired for intake/make up water pump house and ash dyke area. The land acquisition shall be done as per rule.

3. Salient features of the Scheme :
The proposed 2x210 MW (420 MW) Korba East Thermal Power Project, Stage Five envisages setting up of 2x210 MW units along with all associated facilities, auxiliary equipment, Swithcyard etc.

(a) **Coal Supply :** The power station is envisaged to be supplied coal from SECL. Korba and coal transportati[illegible] is envisaged by Rail/Road tr[illegible] or any other transportation m[illegible]

(b) **Water Linkage :** It is propose[illegible] the water requirement of the proj[illegible] will be met from Hasdeo barrage Govt. of Chhattisgarh, Water Resource Department.

(c) **Power Evacuation** : Generated Electrical power shall be evacuated through our existing Power System & lines of 132/220 KV and 400 KV, if required additional lines may be laid as per rule.

(d) **Estimated Cost of the Scheme :** The estimated cost of the proposed Scheme is Rs. 1500 crores.

4. **Beneficiaries :**

Electrical power generated by this project shall be used for future development of the State of Chhattisgarh and to cope up the future demand and supply gap of electricity. The project is essential to supply electricity of good quality and continuously to all the consumers. It is proposed that the benefit of this power will be made available to the State in 10th Five Year Plan subjected to the statutory clearances & availability of funds and financial closure by financial instituions/Banks.

5. **Power of the CSEB under Electricity (Supply) Act and Indian Telegraph Act :**

In accordance with the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, CSEB shall exercise all the powers under the said Act, for the purpose of aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, CSEB while undertaking and executing the sanctioned scheme shall have all the powers of placing of any wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and other appliances for transmission and distribution of the electricity or for the transmission of telegraphic, or telephonic communication necessary for the proper coordination of the works of CSEB, all the powers which the Telegraphic Authority possesses under the Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (Act No. XIII of 1885) with regard to a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained. Provided that where a sanctioned scheme does not make such provision as aforesaid, all the provision of the Section 12 to 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall apply.

Notice is hereby given under-Section 29 (2) of the said Act that any licensee or other person so interested may make his/their representation of above scheme, if any, within two (2) months from the date of publication of this Notification after which no further representation will be considered.

By the order of Chhattisgarh State Elec. Board

A. M. K. BHAROS
Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6174/21-ब/छ.ग.2002.—राज्य शासन, श्री आर. एल. झंवर, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1/खाद्य/2001/29, दिनांक 7-2-2001 द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएँ छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर से वापिस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5070/गोप/2002/11-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6175/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री ताराचन्द यदु, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की सेवाएँ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5070/गोप./2002/11-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 6176/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री आर. एन. चन्द्राकर, रजिस्ट्रार, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, खंडपीठ रायपुर, जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 1105/डी-273/21-ब/छ.ग./02, दिनांक 4-2-2002 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपी गई थी, को वापिस लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापिस की जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

क्रमांक 630/1717/21-अ (स्था.)2002/छ.ग.—मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 5070/गो./2002/दो-2-17/2001, दिनांक 25-9-2002 एवं 5079/गो./दो-2-1/2002 (भाग-दो) दिनांक 25-9-2002 एवं 5079/गो./दो-2-1/2002 (भाग-दो) दिनांक 25-9-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री टी. सी. यदु अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 1-10-2002 से अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक 6144/1660/2002/21-ब.—भारतीय, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर के ए. जार्ज, इंडिया फुल गोस्पेल मिशन, राजनांदगांव को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने और,
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाणपत्र देने हेतु) छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6144/1660/2002/21-B.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion Paster K. A. George Indian Full Gospal Mission Rajnandgaon for the whole State of Chhattisgarh:—

(1) The selomanise marriages, and
(2) To grant certifies of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक /अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	पड़कीपाली प. ह. नं. 118/65	3.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कोडार परियोजना, महासमुंद	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत पड़कीपाली माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद, के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 सितम्बर 2002

क्रमांक 440/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	सोनापुटी प. ह. नं. 118/65	0.22	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत दांयी मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 सितम्बर 2002

क्रमांक 445/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खोपली प. ह. नं. 118/65	5.08	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद	चंडी डोंगरी जलाशय योजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद, के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 442/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	बागबाहरा खुर्द प. ह. नं. 119/66	0.24	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद.	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बांयी, तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 443/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	घुंचापाली कला प. ह. नं. 118/65	0.95	कार्यपालन यंत्री,, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद	चंडी डोंगरी जलाशय के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अक्टूबर 2002

क्रमांक 444/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82 सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	अछोली प. ह. नं. 138/85	0.374	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुंद	अछोली सब माइनर क्रमांक 2 कोडार नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मन्दिर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	भेडिया	3.930	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप-संभाग, प्रतापपुर.	भेडिया जलाशय के निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./33/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	नवागढ़	0.116	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, अंबिकापुर.	जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 अंबिकापुर के स्टोर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./34/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	महेशपुर	2.367	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./35/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल , (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कोटेया	1.903	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	बरनई परियोजना के बांयीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./36/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी कों उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सुखरी	0.020	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	बरनई परियोजना के सुखरी सब माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./37/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	0.057	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 अंबिकापुर.	बांकी परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक़्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./1/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	बरगई	0.604	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	करैंया वितरक नहर के नौगई माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	बरगई	1.506	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग अंबिकापुर.	करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./3/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	दरिमा	1.068	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

रा.प्र.क्र./4/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	महुआ टिकरा	1.114	कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 876/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-मुंगलाटोला, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
318	0.03
320	0.02

(1)	(2)
330	0.13
344	0.07
357	0.05
510	0.20
489	0.06
467	0.08
447	0.05
458/2.3	0.15
319	0.01
454/1	0.05
332/1, 3	0.08
342	0.08
509	0.01
483	0.11
490	0.16
453	0.01
332/4	0.08
471	0.01
321	0.01
323	0.07
448/4	0.02
340	0.08
513/2	0.04
487	0.05
470/1,2	0.11
454/2	0.13
513/7	0.05
457/2	0.01
योग	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा माइनर नहर निर्माण है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2002

क्रमांक 877/प्र. 1/2002/1293.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाडाभाटा, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471	0.19
1473	0.08
540/1	0.03
543	0.03
558	0.03
596	0.01
605	0.01
609	0.04
615	0.05
619	0.03
649	0.02
652	0.03
674	0.05
697	0.02
1381	0.02
1407	0.06
1606	0.09
540/2	0.03
1445	0.03
1470	0.11
1478/3,5	0.10
1709	0.07
545/2	0.01
560	0.04
470	0.07
541	0.01
544	0.02
559	0.01
597	0.05
604	0.04
696	0.03
616	0.03

(1)	(2)
645	0.05
650	0.02
673	0.05
677	0.01
679	0.06
1382	0.01
1383	0.17
1446	0.08
1435	0.01
1607	0.01
1448	0.07
1474	0.15
1609/2	0.10
545/1	0.01
1434	0.07
531	0.08
542	0.01
554	0.01
593	0.03
1715/1,2	0.05
603	0.04
1444	0.02
1472	0.07
618	0.08
648	0.02
651	0.03
675	0.01
678	0.03
698	0.03
1406	0.03
1404	0.12
1427	0.05
1436	0.06
1710	0.06
1467	0.11
1478/1,4	0.10
1610	0.01
योग	3.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाडाभाटा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 888/प्र.1/2002/1323.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-हेडरपुर, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
205	0.11
211	0.07
207	0.04
255	0.05
208	0.06
495	0.01
209	0.17
योग	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथपुड़ी व्यपवर्तन (खंडपार)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 सितम्बर 2002

क्रमांक 1586/ले.पा./भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-तुरमुड़ा, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
689	0.05
309/4	0.02
13/1	0.04
309/3	0.05
309/5	0.03
688	0.05
686	0.05
799	0.15
841	0.03
677	0.09
679	0.09
685	0.17
844	0.03
12	0.12
678	0.10
680	0.14
845	0.29
681	0.09
188	0.25
676	0.05
201	0.07
166	0.08
317	0.03
557	0.07
3	0.46
20	0.13
167	0.18
168/1	0.10
168/2	0.10
171	0.13
318	0.03
556	0.06
176	0.08
316	0.06
559	0.23
184	0.20
874	0.07
183	0.12
41	0.13
187	0.05
315	0.12
324	0.10
497	0.32
319	0.05
322	0.03
320	0.04
325	0.01
492	0.04
321	0.06
493	0.11
323	0.18
522	0.22
558	0.10
561	0.14
521	0.12
562	0.12
516	0.13
414	0.35
515	0.08
170	0.07
458	0.02
494	0.02
840	0.03
409	0.18
5	0.20
408	0.20
387	0.16
384	0.22
382	0.23
369	0.34
198/988/1	0.23
199/15	0.07
199/16	0.07
199/14	0.07
199/18	0.18
199/17	0.14
189/3	0.37

(1)	(2)
200	0.05
202	0.04
199/13	0.04
40	0.36
42/3.	0.29
21	0.32
6	0.23
42/2	0.07
198	0.16
495/2	0.12
508/1	0.03
495/3	0.05
508/2	0.03
189/2	0.15
19/2	0.04
410/4	0.18
514	0.05
511	0.02
198/988/2	0.07
673	0.06
676	0.08
673	0.03
योग	11.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुरमुड़ा लघु जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./25/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
655/4	0.064
246	0.045
247	0.028
योग	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम छिन्द-कालो के मोतीपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./27/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरकोतंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	174/1	0.210
योग		0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम सिरकोतंगा के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./28/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-भालूकछार,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	350/5	0.081
योग		0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 सितम्बर 2002

रा.प्र.क्र./29/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	711/6	0.020
	711/9	0.024
	711/7	0.020
	711/10	0.024
	711/8	0.016
	765/2	0.024
योग		0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम मोतीपुर के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/230/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.330 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
243	0.061
246	
247	
248	
249	
269	
272	0.024
270	
271	0.081
669	0.020
670	0.040
671	0.0.405
698/1	0.166
699/1	0.405
700/1	0.356
708	
700/2	0.226
701	
707	
703	0.166
704	
705	
709/2	0.016
783/1	0.061
784	0.020
785	0.008
1129	0.040
1130/2	
1147	0.024
1133/1	0.365
1135/2	0.008
1130/7	0.061
1133/4	0.032
1133/5	0.101
1133/6	0.142
1134/1	0.101
1134/2	0.036
1151/1	0.049
1151/3	0.081
1155/1	0.304
1155/2	0.024
1156/1	0.049
1156/2	0.162
1130/4	0.101
योग 30	3.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-गतौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/2	0.190
37/3	0.182
37/4	0.032
37/6	0.004
37/7	0.008
41/1	0.004
42	0.028
43	0.533
44	0.012
49/2	0.004
49/4	0.304
50/1	0.138
50/2	0.065
51/1	0.162
51/2	0.210
52/1	0.393
52/2	0.121
54/1	0.081
54/2	0.040
55/2 56/2	0.016
57/5	0.004
207/1 207/2	0.194
207/3	0.158
207/4	0.028
207/5	0.028
208	0.024
209	0.376
210/2	0.194
210/3	0.004
210/4	0.150
210/5	0.146
211/2	0.105
213	0.008
214/1	0.142
214/2	0.008
215/1	0.121
215/2	0.105
215/3	0.121
215/4	0.202
216	0.004
217/1	0.004
252/1	0.121
252/3	0.141
252/4	0.016
252/7	0.004
269	0.081
272/1	0.069
272/2	0.093
273/2	0.036
274	0.016
277	0.680
278	0.793
279/2	0.008
279/4	0.117
279/5 279/8	0.097
279/6	0.283
276/7	0.243
280	0.534
281/5	0.049
281/6	0.202
281/8	0.223
283	0.073
375/1	0.202
379/1	0.012
380/1	0.016
380/2	0.121
380/3	0.069
380/4	0.097
381	0.004
394/1	0.004
394/2	0.004
395/1	0.004

(1)	(2)
395/2	0.004
397	0.004
399/1	0.057
399/2	0.133
399/3	0.113
400/1	0.008
400/2	0.016
400/3	0.210
405/2	0.036
405/3	0.004
406/1	0.202
406/2	0.036
407/1	0.222
407/2	0.053
407/3	0.057
408	0.069
409/1	0.008
409/2	0.081
409/3	0.125
409/5	0.170
431/1	0.032
431/2	0.049
432/2	0.040
432/5	0.073
433/1	0.154
433/2	
434/1	0.073
434/2	0.150
434/3	0.073
435/7	0.073
435/8	0.049
435/9	0.081
435/10	0.081
436/1	0.040
436/2	0.178
436/3	
437	0.004
438/2	0.105
438/3	0.121
438/4	0.178
438/6	0.049
439	0.081
440	0.073
441/1	0.138
441/2	0.243
470	0.117
471/1	0.020
472	0.024
528	0.040
532/1	0.020
532/2	0.012
533	0.024
535	0.045
538	0.113
540	0.061
2582	0.004
2583	0.129
2584/1	0.117
2584/2	0.486
2585/1	0.040
2588/2	
2585/2	0.081
2588/4	
2586	0.081
2596	0.008
2600	0.028
2602/2	0.004
2603	1.113
2604/1	0.012
2605	0.061
2606/1	0.097
2606/2	0.170
2612	0.101
योग 141	15.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/07/अ-82 2001-2002--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 1894 सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-खैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
368/2	0.008
368/3	0.012
368/14, 878/10	0.045
368/20, 878/16	0.081
368/21, 878/17	0.097
368/22, 878/18	0.109
680	0.004
681/1, 715/1	0.012
706	0.016
707/1	0.081
707/2	0.231
709, 710	0.012
711	0.097
712	0.157
713/1	0.109
713/2	0.138
714/2, 716	0.121
717	0.179
718	0.101
719/2	0.085
726	0.008
730/1	0.036
730/2	0.053
731	0.138
732	0.105
733	0.214
734/1	0.081
734/2	0.186
748/2	0.024
748/3	0.085
751	0.121
752	0.138
758	0.089
759/1	0.191
759/3	0.421
759/6	0.073
760/1, 761/1	0.210
760/2, 761/2	0.226
760/3, 761/3	0.259
763/1	0.045
763/2	0.138
763/4	0.061
763/3	0.179
764/2	0.142
764/1	0.008
842	0.073
843/1	0.020
843/2	0.081
844/2, 845/1	0.162
844/1, 845/2	0.065
846	0.016
847	0.020
851/2	0.016
852	0.020
853	0.049
857	0.081
858	0.081
859	0.081

(1)	(2)
860	0.016
861/1	0.089
861/2	0.089
861/3	0.121
864/2	0.032
865	0.040
866	0.121
872/2	0.061
873	0.040
876/1 क/1	0.048
876/1 क/2	0.048
876/1 ख	0.397
876/12	0.024
876/10	0.008
877/1	0.142
877/2	0.186
877/3	0.081
878/2	0.364
878/3	0.040
878/7	0.028
876/5	0.004
878/14	0.061
878/12	0.129
878/28	0.016
368/17 878/13	0.081
975	0.032
योग 84	7.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी. सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2002

क्रमांक/भू-अर्जन/प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 एवं सहपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पंधी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.552 हेक्टेयर

महाल नं. 1
ग्राम पंधी प. ह. नं. 27 तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
480/3	0.202
481/1	0.109
481/2	0.109
481/3	0.065
496	0.347
497/1	0.008
497/2	0.121
498	0.283
499/1	0.008
499/2	0.234
499/3	0.162
500	0.121
501/1	0.198
501/4	0.166
501/5	0.053
503/2	0.008
509/3	0.024
507/3	0.121
507/4	0.162
508	0.324
516/2	0.061
516/6	0.020
517	0.388
527/2	0.061
528/1	0.162
528/2	0.020
529	0.121
530	0.210
531	0.328

(1)	(2)
532	0.121
533	0.061
534	0.028
537/1	0.324
537/2	0.162
537/3	0.214
537/4	1.129
537/5	0.425
537/7	0.890
537/9	1.149
538/6	0.061
566/2	0.466
566/4	0.040
567/1	0.142
567/2	0.243
567/3	0.020
568	0.012
569/2	0.182
569/4	0.004
569/5	0.012
महाल नं. 2 ग्राम पंधी	
489/1	0.833
491	0.134
492/1	0.004
492/2	0.255
493/1	0.348
493/2	0.085
496/1, 496/4	0.259
496/2	0.081
496/3	0.049
497/1, 498	0.020
	0.263
497/2	0.340
योग 60	12.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी. सी. सीपत परियोजना रेल्वे सायडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2002

क्रमांक 03/4-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सल्का
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.010 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
283/2	0.073
281/3	0.040
284	0.024
392/1, 392/2	0.065
394/1	0.085
394/2	0.077
395	0.162
390	0.040
396/1	0.077
397/1, 397/2	0.105
388, 389	0.320
379/7	0.008
386/1	0.012
379/4	0.057
383/3	0.012
383/1	0.105
383/4	0.020
387/3	0.259
387/4	0.024
387/5	0.004

(1)	(2)
381/2	0.016
379/3	0.121
379/9	0.153
281/1	0.150
योग 24	2.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्‌वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 04/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
675/2	0.053
684/3	0.073
676/1	0.008
684/2 क	0.089
675/1	0.053
684/1	0.008
684/4	0.020
696	0.385
698/2	0.230
698/1	0.202
673/1	0.065
821/1	0.012
821/2	0.053
821/3	0.061
684/2 ग	0.073
822/1	0.012
822/2	0.008
883	0.053
823	0.065
873/1	0.134
882	0.065
873/4	0.053
878/1	0.040
878/2	0.024
879/1	0.049
879/4	0.020
879/3	0.032
698/3	0.073
योग 28	2.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का उद्‌वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्रमांक 05/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.761 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
443/2	0.040
120	0.032
79/2	0.057
83	0.024
104/2	0.032
119	0.049
114	0.045
117	0.040
111/2	0.040
425/1	0.133
98/2	0.045
429	0.045
111/1	0.065
112	0.061
111/3	0.049
104/1	0.032
79/1	0.004
79/3	0.045
140/5	0.012
101	0.117
90	0.133
65/1	0.004
65/2	0.065
75/1	0.073
76/1	0.008
401/2	0.045
82	0.057
85/1	0.020
85/2	0.016
99	0.040
100/1	0.057
140/1	0.020
75/2	0.036
76/3	0.049
431/4	0.069
443/1	0.049
425/8	0.008
424/5	0.028
351	0.020
431/3	0.057
442	0.057
424/2	0.032
353	0.053
76/6	0.065
444	0.045
450/4	0.024
443/3	0.008
445	0.008
439/2	0.016
425/4	0.036
425/5	0.040
431/1	0.154
58/1	0.016
400	0.085
59	0.057
58/2	0.036
424/4	0.024
58/3	0.012
402/2	0.024
403	0.032
424/1	0.028
424/3	0.045
योग 62	2.761

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 21/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.166 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448	0.227
474	0.061
477	0.028
220	0.081
221	
223	0.061
466/1	0.020
135/2	0.020
136/1	
135/1	0.178
475/2	0.174
473	0.053
161/2	0.065
209	0.065
210	0.020
219/1 ख	0.259
447	0.150
161/1	0.016
476	0.162
133/1	0.073
163	0.162
222/1	0.089
161/3	0.129
465	0.073
योग 21	2.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 31/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.179

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.028
30	0.165
7/1	0.109
32	0.057
7/2	0.194
6	0.113
33	0.057
5/2	0.117
4/3	0.044
12	0.057
35/3	0.044
35/4	0.194
योग 12	1.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक 35/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1/1	0.053
26/2	0.162
19/2	0.065
20/2/1	0.081
19/1	0.024
19/5	0.016
20/2/2	0.198
18	0.947
23	0.518
97	0.057
22/1स	0.687
22/1	
118/5	0.040
24	0.332
21	0.117
20/1/2	0.049
19/3	0.073
19/4	0.040
19/6	0.081
22/1 ज	0.591
योग 20	4.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय स्पिल चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 577/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1179	0.170
योग 1	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 578/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532	0.008
533	0.024
534	0.028
535	0.049
536	0.073
537/1	0.040
523/2	0.004
522	0.045
521	0.049
519	0.036
518	0.032
517	0.040
516	0.081
505	0.166
508, 507	0.065
636	0.028
635	0.113
632/1	0.073
632/2	0.049
631/2	0.005
631/1	0.085
657/1	0.162
663/3	0.113
664	0.101
666	0.073
667	0.073
योग 26	1.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 579/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1708/4	0.049
1876/1	0.032
1877/1	0.012
1877/2	0.028
1885/2	0.073
1885/3	0.081
1919	0.028
1918	0.028
1917	0.049
1916	0.057
1915	0.049
1914	0.024
1965/1 1965/2	0.121
1964	0.174
1961	0.129
1958	0.053
1959	0.053
1955/1	0.040
1955/4	0.045
1955/2	0.053
1955/3	0.061
1947	0.097
1948 1949	0.016
योग 23	1.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 580/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.545 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयरं में) (2)
3091	0.020
3092	0.020
3112	0.036
3111	0.040
3094/2	0.040
3094/1	0.008
3095 3096 3098	0.129
3100	0.046
3103	0.081
3104	0.182
3078/1 3878/2	0.036
3269	0.158
3268	0.097
3266	0.117
3254	0.097
3253	0.081
3257	0.008
3252	0.121
3429 3428	0.101
3422	0.008
3423	0.101
3421	0.040
3420	0.117
3424	0.016
3419	0.061
3418	0.061
3417	0.057
3415	0.065
3574	0.105

(1)	(2)
3574	0.105
3575	0.024
3578	0.202
3570/1	0.101
3580	0.170
योग 33	2.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 581/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
256	0.109
254/4	0.409
255/4	
244/2	
266/2	
244/1	0.121
266/1	
244/3	0.223
266/3	
243/1	0.344
243/2	
354/4	0.121
354/5	0.057
273/2	0.081
273/1	0.134
274/1	0.117
400	
377	
275	0.117
397	0.081
354/9	0.073
354/10	0.073
354/13	0.012
351	0.089
352	0.105
349/1	0.081
349/2	
356	0.097
255	0.138
380	0.073
379	0.057
378	0.073
399	0.073
376/2	0.049
389	0.004
408/1	0.049
409/1	
408/2	0.049
409/2	
410	0.012
428	0.028
योग 30	3.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 582/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-करनौद, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1416/1	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंसुला माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 583/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.478 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	876/4	0.028
	876/2	0.073
	876/5	0.065
	848/35	0.401
	906	0.069
	907/1	0.024
	907/2	0.057
	908/1	0.016
	909	0.194
	938	0.065
	910	0.053
	911	0.032
	946	0.024
	944	0.028
	943	0.089
	942	0.061
	940	0.049
	939	0.150
योग	18	1.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 584/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सोठी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.282 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229	0.028
678	0.081
679	0.016
230	0.028
231/1	0.012
231/2	0.012
689/2	0.012
233/1 234	0.052
233/2	0.030
235 236	0.040
709	0.032
237	0.032
238/1 238/2	0.061
416/1	0.85
416/3	0.049
417/2	0.081
418/2	0.121
419/2	0.089
419/3	0.089
419/5	0.065
420/1	0.073
425	0.016
420/2	0.081
420/3	0.077
421/2	0.243
422	0.065
424	0.004
423	0.028
426	0.105
427/4	0.081
432	0.435
433	0.175
434/1 437	0.077
440 439	0.121
438	0.081
531	0.049
532	0.105
681	0.081
683	0.072
682	0.072
771	0.085
692	0.049
693/1	0.028
693/2	0.028
756/1	0.020
693	0.028
694/1	0.008
695/1 696	0.028
695/2	0.051
770/2	0.069
707	0.040
708	0.142
804	0.240
723	0.057
775	0.040
773	0.101
724 228	0.150
725	0.061
729	0.012
739	0.121
740/1	0.065
741	0.024
744/1	0.135

(1)	(2)
747/1	0.008
756/2	0.040
757/1	0.069
757/2	0.075
758	0.032
759/1	0.008
760/1	0.040
760/2	0.040
760/3	0.049
760/4	0.065
769	0.004
802	0.214
योग 75	5.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शक्ती वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 585/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नन्दौर कला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.574 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39	0.020
41	0.170
42	0.150
48, 49	0.101
51	0.032
52	0.008
53	0.008
46/2, 46/3	0.085
योग 8	0.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-असौंडा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 586/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुजकुलिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.247 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.061
1/2	0.061

(1)	(2)
1/3	0.004
11	0.032
84	0.008
85	0.040
86/1	0.008
86/2	0.061
86/3	0.133
32	0.008
94/1	0.032
94/2	0.012
95/3	0.004
93	0.057
35	0.008
36	0.008
38/1	0.004
77/4	0.049
77/3	0.143
77/1	0.109
77/2	0.020
122	0.004
123	0.053
124/2	0.049
125/3	0.028
125/4	0.061
138	0.004
139	0.036
140	0.008
141	0.012
142	0.057
143	0.044
145	0.069
146	0.032
147	0.012
148	0.004
149	0.028
150	0.020
151	0.040
152	0.012
153	0.024
121/1	0.036
121/2	0.097
120	0.053
121/3	0.040
139	0.016
121/4	0.024
135	0.045
140	0.012
175/3	0.182
175/2	0.045
197	0.101
218	0.024
220	0.065
221	0.020
222	0.016
232/1	0.012
योग 57	2.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 587/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-नंदेली प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376/2	0.012
636/1 633/3	0.044
650	0.105
651/5	0.024
649	0.004
665	0.008
671	0.129
667	0.084
669/1	0.008
669/2	0.004
708	0.125
योग 11	0.547

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमीडीह मांइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 588/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नन्देली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.675 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471	0.032
470	0.032
485 486 487	0.045
469	0.097
477	0.036
478	0.061
467/2	0.008
480	0.008
481	0.069
482	0.053
465	0.004
464	0.008
462	0.125
458 459 463	0.057
461/1	0.032
460	0.008
योग 16	0.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुचकुलिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 589/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
228	0.073
222	0.189
233	0.113
220	0.016
176	0.335
607	0.073
343	0.053
340	0.121
345	0.020
346	0.012
347	0.109
452	0.024
353	0.008
453	0.105
450	0.024
449	0.146
494	0.032
496	0.028
495	0.016
492	0.040
511	0.032
512	0.016
537	0.040
534	0.040
524	0.040
523	0.045
522	0.040
521	0.040
520	0.117
558	0.061
559	0.077
562	0.028
561	0.016
563	0.065
योग 34	2.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 590/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-केकराभांठ, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655/3	0.065
655/2	0.069
659/5	0.030
659/2	0.032
659/3	0.081
682	0.040
683	0.077
684	0.024
685	0.049
688	0.012

(1)	(2)
687	0.040
686/2	0.012
686/1	0.053
694	0.038
676/2	0.004
695	0.089
699	0.012
728	0.008
700/1	0.081
700/2	0.078
725/1	0.093
723	0.063
722	0.024
721/1	0.057
721/2	0.020
705	0.045
706	0.040
707	0.040
712/1	0.049
712/2	0.063
712/4	0.016
712/3	0.049
716	0.004
717	0.016
871	0.061
872	0.020
870	0.057
873	0.004
868	0.040
878	0.028
879	0.073
880	0.036
881	0.061
901	0.133
903	0.012
904	0.024
898	0.004
909/1	0.024
910	0.008
911	0.028
914/2	0.022
914/3	0.097
912	0.040
योग 53	2.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 591/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.436 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80	0.125
87/2	0.032
89/2	0.020
88/1	0.040
92/1 ख	0.040
94	0.049
93	0.020
98	0.061
99	0.004
107/1	0.133
196/1 ख	0.040
411/3	0.020
412/1, 2	0.202
414/2, 414/3	0.081
416/2	0.012

(1)	(2)
411/7	0.061
414/9	0.057
414/5	0.061
415/5	0.008
415/3	0.081
415/8	0.040
415/1	0.016
386	0.040
382/1	0.032
381/4	0.040
381/3	0.024
365/3	0.065
370	0.032
योग 28	1.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 592/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
418	0.618
439/1	0.036
439/2	0.085
438/4	0.004
438/5	0.053
438/6	0.072
463	0.151
462/1	0.280
462/2	0.043
473/1	0.040
474/1	0.049
472/1 472/2	0.040
471	0.012
470	0.024
468/1	0.064
469 477/2	0.064
477/1	0.016
468/2	0.072
468/3	0.068
514/2	0.069
514/1	0.008
513	0.081
512	0.061
511	0.040
510 509	0.720
500	0.016
501	0.008
499/3	0.053
499/4	0.040
540/1	0.123
540/2	0.060
537	0.020
538	0.037
535/1	0.156
531	0.044
530/1	0.113
555/2	0.004

(1)	(2)
555/1	0.032
555/3	0.105
556/1	0.018
556/2	0.010
557	0.459
660	0.125
661	
662	0.020
663/1	0.101
665	0.145
664	0.257
678/1	0.202
672	0.012
673	0.069
674	0.061
675	0.040
677/1	0.036
677/2	0.220
685	0.101
686/2	0.145
899	0.032
900	0.004
469	0.064
540/3	0.008
योग 60	5.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 593/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.364 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
596	0.020
597/1	0.053
595	0.154
594	0.075
592	0.117
593	0.101
713	0.138
714	0.016
790	0.226
799	0.069
798	0.081
797	0.080
796	0.044
817	0.214
815	0.008
814	0.028
829	0.202
830	0.049
831	0.008
839	0.039
838	0.120
841	0.032
842	0.012
843	0.061
834	0.081
844	0.053
845	0.036
866	0.036
864	0.024
863	0.069
860	0.045
861	0.012

(1)	(2)
859	0.061
योग 33	2.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 594/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.747 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82	0.004
81	0.101
38/2	0.202
34/4	0.040
34/5	0.016
34/2	0.016
35	0.035
23/1	0.022
32/3-4	0.105
32/2 ख	0.121
223/6 ख	0.020
223/6 ग	0.008
223/1 घ	0.032
223/1 क	0.040
226	0.065
227	0.101
225	0.032
223/2	0.020
219/1	0.089
219/2	0.020
219/3	0.045
221	0.105
295	0.004
293/2	0.008
294/2 294/3	0.085
294/1	0.028
291/2	0.045
291/1	0.036
272/2	0.040
273/2	0.065
287	0.040
290	0.008
285	0.016
288	0.036
305/2	0.085
304/1	0.081
304/5	0.081
339/1	0.008
338	0.089
336/2	0.073
331/1	0.008
336/4	0.081
331/2	0.040
330	0.101
323	0.032
324	0.024
320 321	0.308
443	0.032
444	0.024
445 446	0.057

(1)	(2)
447	0.036
451	0.065
452	0.101
453	0.036
योग	2.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 595/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.527 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1750/2	0.012
1750/1	0.024
1764	0.020
1776/1	0.028
1765	0.069
1767	0.032
1773	0.016
1775	0.012
1776/2	0.032
1781	0.049
1786	0.040
1787	0.004
1785/1	0.040
1785/2	0.012
1752	0.073
1788	0.024
1774	0.024
1783	0.016
योग 17	0.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 596/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-ठूठी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.508 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634	0.105

(1)	(2)
633/2	0.008
633/3	0.061
629/3	0.061
627	0.065
626	0.187
625	0.081
621/7	0.087
621/6	0.089
621/10	0.083
621/11	0.120
621/14	0.084
621/15	0.109
622/1	0.020
621/23	0.216
621/22	
621/31	
630/1	0.012
629/4	0.120
633/1	
योग 18	1.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठूठी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1945	0.133
1913/3	0.057
1937/1	0.028
1938	0.080
1939/1	0.032
1931/1	0.045
1930	
2621	0.081
2593/6	0.011
2595/1	0.017
2596/1	
2606/2	0.007
2606/1	
2597	0.052
2598	
2599/3	0.066
2564/3	0.049
2517	0.026
2741/1, 2	0.101
2508/2,1,5	0.132
2503	0.015
2504	0.052
2496	0.053
2499	0.033
2492	0.036
2493	0.027
2490	0.032
योग 23	1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनसरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 598/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-दतौद, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.865 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
805/2	0.125
805/3	0.012
792/1	0.214
793	0.004
795/1	0.137
499	0.365
507	0.008
योग 7	0.865

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरागढ़ सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 597/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-माल खरौदा

(ग) नगर/ग्राम-खरताल, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.676 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/1	0.044
36/2	0.093
37	0.295
38	0.049
39	0.178
41/2	0.020
42/1	0.327
42	
43	0.069
44	0.619
98	0.344
97/1	0.004
69/1	0.117
69/4	0.170
69/3	0.238
69/2	0.024
70	0.060
78	0.320
60/2	0.065
72/6	0.020
58/4	0.178
58/1	0.080
58/2	0.121
73/2	0.518
58/5	0.032
74/1	0.065
75/1	0.012
55/1	0.113
55/4	0.303
55/5	0.101
55/3	0.097
योग 30	4.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन। जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 600/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-माल खरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं.1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.976 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/11	0.101
50/3	0.012
50/2	0.052
50/4	0.310
50/1	0.194
50/8	0.125
50/9	0.235
50/12	0.052
42/14	0.198
42/13	0.012
42/12	0.165
42/11	0.133
42/8	0.004
42/9	0.020
51 16/2 16/6	0.173
16/9 16/1	0.121
16/5	0.049
16/13 16/14	0.020
योग 18	1.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 601/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2905	0.040
2907	0.096
2908	0.008
2909	0.016
2917	0.040
2944	0.032

(1)	(2)
2940	0.020
2939	0.162
2938	0.198
2958	0.032
2959	0.069
2961	0.121
3262	0.093
3270/1	0.053
3270/2	0.053
3273/1	0.036
3273/2	0.101
3275	0.182
2807	0.048
2806	0.120
2824	0.024
2826	0.064
2866	0.056
2865	0.052
2875	0.061
2877	0.056
2876	0.040
2885	0.040
2887	0.008
2888	0.008
2886	0.016
2791, 2892	0.049
2894	0.040
2896	0.032
2899	0.032
2900	0.032
2906	0.030
2825	0.004
योग 38	2.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारी भंवर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 602/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.596 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
230/1, 242/1, 243/1	0.154
230/2	0.040
225/1, 240/1 क, 240/1 ख	0.032
240/2 क, 240/2 ख	0.032
231	0.016
241/8	0.073
241/2	0.024
244	0.008
246	0.008
248/1 ख	0.008
253	0.012
255	0.040
260	0.080
256	0.004
257	0.065
योग 15	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नम्बर 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 603/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.420 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139	0.065
140	0.077
155	0.073
154	0.040
153	0.065
171	0.097
172	0.032
177	0.105
836	0.561
831	0.305
10	1.420

(2) सा[illegible] जिसके लिए आवश्यकता है-खजुरानी मा[illegible]

(3) भूमि का [illegible] भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव प[illegible] सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 604/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.400 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2189/2	0.076
2171	0.016
2170	0.036
2168	0.036
2167	0.068
2149	0.068
2147	0.020
2146	0.032
2145	0.024
2112	0.020
2096	0.050
2097	0.032
2111	0.024
2099	0.032
2100	0.052
2101	0.052
2102	0.016
2107	0.088
1544/2, 1544/3	0.020
1545/1	0.020
1547/2	0.020

(1)	(2)
1541/1 क	0.101
1542	
1543	
2120/2	
1540	0.036
1539/2	0.040
1566	0.090
1567	0.012
1528/1	0.012
1568/1	0.049
1577	0.036
1575	0.064
1579	0.008
1574	0.028
1581	0.020
1573	0.020
1582	0.024
1583	0.024
1512	0.008
1511	0.028
1508/1	0.028
1605	0.056
1606	
1609	0.068
1612	0.060
1613	
1480	0.024
1481	
1414/1	0.016
1479	0.008
1615	0.020
1616	0.056
1464/4	0.007
1464/2	0.180
1453	0.060
1454	0.064
1459	0.012
1435	0.052
1437/8	0.048
1431	0.032
1436	0.010
1464/3	0.030
1614/2	0.016
1482	0.010
1497	0.010
1498/1	0.010
1607	0.040
1608	0.020
योग 70	2.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 605/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
234	0.008
233	0.125
232	0.044
231	0.142
229	0.048
230	0.040
226/2	0.125

(1)	(2)
224/1,4	0.101
224/2	0.016
224/3	0.004
223	0.081
717	0.121
720	0.040
714/1	0.073
721	0.089
708	0.061
704	0.129
705	0.053
707	0.044
706	0.085
701	0.008
699	0.178
387	0.008
698	0.170
697	0.049
388/3	0.085
382/4	0.012
388/1	0.089
388/2	0.056
391	0.182
380	0.008
373/24	0.028
373/6	0.214
373/8 क	0.012
373/7	0.368
373/5	0.117
373/8 ख	0.004
415	0.081
416	0.012
414	0.299
417	0.089
418	0.125
412	0.061
582/1 582/2	0.117
580/2	0.008
580/3	0.121
581	0.077
557/1	0.089
557/1	0.089
557/2	0.089
554	0.263
558	0.282
560	0.146
545/2	0.004
540/3	0.089
540/2	0.101
539/3	0.121
228	0.008
227	0.053
737/2	0.004
योग 59	5.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 606/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.840 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5486	0.115

(1)	(2)
5867/1	0.004
5488	0.052
5489	0.085
5487	0.095
5877	0.175
5878	0.004
5869	0.075
5875	0.024
5870	0.016
5871	0.135
5874	0.095
5873	0.151
5872/3	0.024
5881	0.016
5882	0.004
5883	0.036
5884	0.176
5885/1,3	0.020
5885/2	0.052
5907/1, 2	0.202
5912	0.081
5911	0.056
5914	0.008
5916/1, 2	0.101
5910	0.020
5917	0.061
5918	0.074
5919	0.172
5922	
5923/1,2	0.069
5974	0.045
5973/2	0.077
5972	0.093
5971/1	0.081
5936	0.008
5937	0.155
5938/1	0.121
5938/2	0.072
5939	0.097
5941/1, 2	0.145
5949	0.131
5950/2	0.024
5950/3, 4	0.081
5950/1	0.027
5948	0.210
5951	0.109
5952	0.089
5953	0.077
योग 48	3.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 607/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सलनी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.364 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
125/4	0.004
125/2	0.024
145	0.056
144	0.068
143	0.080
142	0.100
108	

(1)	(2)
128	0.144
291/1	0.020
119/3	0.096
272/3	0.024
110	0.048
109	0.060
107	0.012
291/2	0.044
189/1	0.012
89/2	0.044
87/1	0.068
80/2	0.092
81/1	0.140
81	0.044
78	0.016
77	0.024
335/2	0.064
334/3	0.080
योग 23	1.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 608/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.614 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340	0.113
339	0.040
338	0.024
336	0.072
335	0.097
312	0.044
310	0.028
309	0.028
307/1,5	0.072
307/4	0.024
307/6	0.020
308	0.052
योग 12	0.614

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सलनी सब माइनर नं 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 609/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कुटराबीड़, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
773-1	0.077
775	0.024
776/1	0.202
826	0.012
827	0.101
828	0.101
822	0.146
821	0.146
820	0.004
819	0.077
815/1	0.032
815/2	0.081
809, 810	0.040
808, 806, 805, 811, 807	0.368
909	0.101
911	0.085
912/2	0.024
1154	0.024
1153	0.057
1155	0.012
1152	0.150
1149	0.008
1151	0.105
1127	0.223
1101	0.113
1102	0.045
1104	0.065
1105	0.065
1106	0.105
1107	0.113
1108	0.089
1113	0.053
1109/1	0.008
1109/2	0.004
1114/1	0.073
1635	0.425
1644	0.085
1646, 1647	0.032
1645	0.016
1650/3	0.291
1650/1, 1650/2	0.242
814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 836	0.012
93, 94, 95, 96, 97	0.016
योग 43	4.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 610/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूँची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.085
14	0.089
16	0.077
15	0.089
17/1	0.012
17/2	0.012
17/4	0.048
18/4	0.004
35/5	0.028
39/2	0.093
38/1	0.048
38/2	0.044
36/2	0.080
26/2	0.028
27	0.061
31/1	0.036
31/2	0.008
29	0.073
30	
34	0.012
91/2	0.057
91/1	0.198
180/2	0.117
180/9	0.037
92/5	0.004
180/11	0.101
योग 24	1.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुतिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 सितम्बर 2002

क्रमांक 611/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बंदोरा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.884 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1154/2,3,5	0.414
1155/1,2	0.319
1156/1	0.162
1157/2	0.199
1159/1	0.222
1160	0.275
1163	0.393
1164/3	0.069
1169/2,3	0.170
1167	0.222
1168	0.210
1166	0.061
981/2, 4, 5	0.304
980	0.639
984	
979	0.324
985	
982/2	0.040
986/1, 2	0.332
987/1, 2, 3	
998/1	0.186
988	0.417
989/2	0.065
989/3	0.251
969/2	
699	
1000/2	
997	0.413
995	0.235
592/1, 2	0.347
1004	0.004
1005	0.008

(1)	(2)
1279/291	1.222
589	0.121
591	0.032
590/1, 2	0.190
634/1, 2	0.190
633/1 से 5	0.332
650	0.437
651	0.081
660/1	0.008
660/2	0.129
661/2	0.032
662	0.065
658	0.121
657	0.105
656	0.352
664	
665	0.206
669	0.202
672/1, 2, 3	0.271
671	0.008
673/1	0.080
674	0.141
827	
675/1	0.150
826/1	0.133
826/2	0.133
825	0.049
824/2	0.142
824/3	
824/1	0.024
823/3	0.032

(1)	(2)
834/1, 2	0.113
835/2	0.089
835/3	0.068
835/1	0.020
836/1	0.271
838/2, 3	0.121
836/5	0.081
838/1	0.186
846/4	0.101
847	
839	0.080
357	0.150
358	
355	0.140
356	
1170/3	0.126
1170/4	0.009
योग 68	12.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.